संख्या- 174 /2026/1705/चार-2026-1824900

प्रेषक,

राज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 24 जून, 2026**

विषय:- दानवीर भामाशाह के जन्म दिवस दिनांक 29 जून को ''व्यापारी कल्याण दिवस'' के रूप में मनाये जाने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-746/सं0नि0-15(39)/2026-27, दिनांक 19 जून, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या-3032/ चार-2023 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 के क्रम में अवगत कराया गया है कि दानवीर भामाशाह के जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक 29 जून, 2026 को "व्यापारी कल्याण दिवस" के रूप में संस्कृति विभाग एवं राज्य कर विभाग के संयुक्त तत्वाधान में लखनऊ के साथ ही प्रदेश के समस्त जनपदों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां करायी जानी प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम की व्यवस्थायें सचिवालय प्रशासन एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की अनुमोदित दरों एवं विभाग की सूचीबद्ध फर्मों/एजेन्सियों के माध्यम से कराये जाने पर होने वाले अनुमानित व्यय का विवरण निम्नवत् उपलब्ध कराया गया है:-

क्र०	विवरण	अनुमानित धनराशि (रू० लाख में)
1	75 जनपदों में कराये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय पर व्यय 75 x 40,000 = 30,00,000/- (प्रति जनपद 01 कलाकार दल रू0 40,000/- की दर से)	30.00
2	लखनऊ में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम पर होने वाला व्यय (मंच की साजसज्जा / मंच पर एल०ई०डी०/ डिजिटल आमंत्रण कार्ड के डिजाईन/सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यापार मंडल के व्यापारियों को सम्मानित किये जाने हेतु सम्मान पत्र (वूडेन फ्रेम के साथ) मुख्य अतिथि के सम्मान हेतु मोमेन्टो व अंगवस्त्र/अभिलेखागार द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली प्रदर्शनी हेतु वुडेन वाल/अभिलेख प्रदर्शनी हेतु प्रदर्शकों के निर्माण आदि)	7.00
	योग (रूपये सैंतीस लाख मात्र)	**37.00**

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में दानवीर भामाशाह के जन्म दिवस के अवसर पर "व्यापारी कल्याण दिवस" के रूप में दिनांक 29 जून, 2026 को आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में, **केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर जनपदों में उपलब्ध कराये गये कलाकार दलों को छोड़ते हुए, अन्य न्यून कार्यक्रम प्राप्त स्थानीय कलाकार दलों से कार्यक्रम कराने हेतु रू0 30.00 लाख एवं लखनऊ में आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय कार्यक्रम पर होने वाला व्यय रू0 07.00 लाख** अर्थात यथाप्रस्तावित कुल अनुमानित व्यय **रू0 37.00 लाख (रूपये सैंतीस लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी।

(12) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय से शासन को अवगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय- 13-आजादी का अमृत काल महोत्सव-42 अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद्, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।